न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 35/2019 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. मोहन पिता देवी भील निवासी टोकरवाड 2. रूकमणी पत्नी मोहन भील निवासी टोकरवाड तहसील हुरडा
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.09.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम टोकरवाड की आ.न. 2904/351 रकबा 5.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 19.12.2019 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी के सम्मन की तामील में विपक्षी संख्या 01 की मृत्यु होना अंकित किया है एवं विपक्षी संख्या 02 की सकुनत गलत हैं। तहसीलदार हुरडा द्वारा कायम मुकाम रिपोर्ट मय सम्मन भी पेश नही किये गये। जबकि

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 19.12.2019 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रकरण में 02 वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नही अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार हुरडा ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। प्रार्थी तहसीलदार हुरडा ने मृतक के विरूद्व 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियम विरूद्व कृत्य किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार हुरडा ने मृतक व्यक्ति के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार हुरडा मृतक के वारिसान की जांच कर पूर्ण दस्तावेज सहित प्रकरण नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)